इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
चांदा, तलावली, मांगलिया, इन्दौर

ई–मेल isdsm_gmpo@rediffmail.com Mob.9425912919

ई–निविदा विज्ञप्ति

निविदा प्रपत्र मूल्य 10,000/-

निविदा संदर्भः 2774 /GMPO/ISDS/2022/ Indore, Dt : 29-11-2022

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न बीएमसी एवं शीतकेन्द्रों (दुग्ध संयंत्रों) से दुग्ध परिवहन कार्य हेतु इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। टैंकरों को किराये पर लगाने हेतु इच्छुक परिवहनकर्ता वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** से निविदा प्रपत्र क्रय एवं भरी हुई निविदा ऑनलाईन माध्यम से ही दिनांक 09.12.2022 दोपहर 2:00 बजे तक जमा कर सकते है। निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 1,00,000 ⁄ – जमा करना अनिवार्य है। शर्तो का विस्तृत विवरण **www.sanchidairy.com** पर मात्र पठन के लिये उपलब्ध है। एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मांगलिया इन्दौर – 453771 (म.प्र)
दूरभाष क्र : 0731–2802554,2802535 फैक्स,नं: 0731–2811559
ई–मेलः isdsm_gmpo@rediffmail.com

: निविदा दस्तावेज : **मूल्य रूपये 10,000/– मात्र**

ई–निविदा बाबत्	संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न बीएमसी एवं शीतकेन्द्र (दुग्ध संयंत्रों) से इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ताओं से दरों के आमंत्रण की निविदा सूचना ।
निविदा संदर्भ	2774/GMPO/ISDS/2022/Indore, Dt : 29-11-2022
शेड्यूल– I	**दुग्ध टैंकर परिवहन निविदा हेतु निविदा प्रपत्र, निबंधन एवं** शर्तें
शेड्यूल– II	तकनीकी विवरण
शेड्यूल– III	तकनीकी विवरण साथ आवश्यक रूप से प्रारूप अ प्रस्तुत किया जाना है
शेड्यूल– IV	बी.एम.सी. दर प्रस्तुतीकरण पत्रक (टोलटैक्स अतिरिक्त) (मार्ग विवरण संलग्न)
शेड्यूल– V	शीतकेन्द्र दर प्रस्तुतीकरण पत्रक (टोलटैक्स अतिरिक्त) (मार्ग विवरण संलग्न)
प्रतिभूति राशि	Rs. 1,00,000 (रू एक लाख मात्र)
निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	09.12.2022 अपरान्ह 2.00 बजे तक
ऑनलाइन निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	09.12.2022 अपरान्ह 2.00 बजे तक
निविदा खोलने का समय एवं तिथि	– तकनीकी निविदा दिनांक 10.12.2022 दोपहर 3.00 बजे खोली जावेगी।
निविदा प्रस्तुतीकरण	– प्रतिभूति राशि एवं आवश्यक समस्त तकनीकी दस्तावेजो ऑनलाईन माध्यम (mp tenders portal) से दिनांक 09.12.2022 दोपहर 02.00 बजे तक
	– दर प्रस्तुतीकरण केवल ऑन लाइन (on line) ही किया जाना है ।
पत्राचार हेतु कार्यालय का पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चांदा तलावली, मांगलिया इन्दौर – 453771 (म.प्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

शेड्यूल–।
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
दुग्ध टैंकर परिवहन निविदा हेतु निविदा प्रपत्र, निबंधन एवं शर्ते

निविदा की शर्ते एवं निबंधन निम्नानुसार है :–

1. दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यकारिणी सदस्यों/कर्मचारियों के परिवार जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई–बहन एवं इनके संबंधियों को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी। अतः निविदाकार को इस बावत् पृथक से नोटराइज्ड शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसका प्रारुप संलग्न है।
2. ब्लैक लिस्टेड परिवहन ठेकेदार निविदा भरने हेतु पात्र नहीं होंगे।
3. संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि के पूर्व कार्य से पृथक किया गया है, तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होगें।
4. निविदाकार के स्वयं या परिवार/फर्म या पंजीकृत समिति के नाम का वाहन होना अनिवार्य है अर्थात निविदाकर्ता के नाम या परिवार (व्यस्क व्यक्ति) के नाम से या फर्म/पंजीकृत समिति के नाम से ही टैंकर का पंजीयन होना चाहिये।
5. निविदाकार/फर्म द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य स्वयं की शर्त लगायी जाती है, तो ऐसी दशा में निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
6. सफल निविदाकार को संघ की आवश्यकता अनुसार क्षमता के टैंकर उपलब्ध कराना होगें।
7. खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2006 के तहत पंजीकृत किया जाना होगा।
8. परिवहनकर्ता को G.P.S. युक्त टैंकर संचालित करना होगा। परिवहनकर्ता को G.P.S. 24 घंटे चालू रखना होगा। टैंकर संचालन में निम्न बिन्दुओं का पालन अनिवार्य रहेगा।
   - टैंकर पर जीपीएस सिस्टम को 24 घंटे बैटरी से जुडा होना आवश्यक है।
   - टैंकर निर्धारित मार्ग पर ही चलाना होगा।
   - निर्धारित स्थान बीएमसी/शीतकेन्द्र से दूध भरने के बाद अन्य स्थानों पर जैसे होटल/ढाबे आदि पर टैंकर रोका नहीं जावे।
   - बीएमसी पर संकलित दूध परिवहन कर लाये जाने हेतु दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समय सारिणी का पालन करना होगा। नियत समय पर दुग्ध संयंत्र से प्रस्थान एवं परिवहन कर पुनः दुग्ध संयंत्र पर निर्धारित समय से पहुंचना होगा। माह सितम्बर से फरवरी तक बी.एम.सी. पर संकलित दूध परिवहन कर लाये जा रहे टैंकरों को सायः 07.00 बजे तक संयंत्र पहुंचना अनिवार्य होगा। बिलम्ब से आने पर राशि रू 2000/– अर्थदण्ड किया जावेगा।
   - एम.पी.सी.डी.एफ. के निर्देशानुसार रात्रि में दुग्ध परिवहन हेतु टैंकर संचालन नहीं किया जावेगा।
   - अन्तिम बीएमसी/शीतकेन्द्र से टैंकर भरने के बाद परिवहन सतत् करना होगा, रास्ते में नहीं रूकना चाहिये।
9. निविदाकार/फर्म/पंजीकृत समिति के पास स्वयं के स्वामित्व के न्यूनतम पांच टैंकर दुग्ध परिवहन हेतु, वर्ष 2017 या इसके पश्चात के मेन्युफेक्चरिंग एवं रजिस्ट्रेशन वाले होना अनिवार्य हैं।
10. निविदा प्रपत्र के साथ रू. 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को देय होगा, लगाना अनिवार्य है। पूर्व जमा धरोहर राशि को मान्य नहीं किया जावेगा। उक्त धरोहर राशि का समायोजन निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदाकार के लेखे में सुरक्षा राशि के साथ किया जावेगा अर्थात् सुरक्षा निधि जो रू. 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) प्रति टैंकर है, के विरूद्ध रू. 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) का समायोजन किया जा सकेगा।
11. निविदाकार/फर्म अपने वाहन के अनुरक्षण, डीजल, टैक्स, व अन्य सभी खर्चो के लिये स्वयं उत्तरदायी है। टोल टैक्स की वास्तविक मूल परची प्रस्तुत करने पर पृथक से राशि देय होगी। इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नहीं होगा।

12. अनुबन्ध अवधि में दुग्ध टैंकर, दुग्ध संघ की बिना लिखित अनुमति के अन्य कहीं भी, कोई भी कार्य नही कर सकेगा। यदि ऐसा करते पाये जाता है तो, दुग्ध संघ द्वारा आर्थिक शास्ति रूपये 10000/– (दस हजार रूपये) लगाई जायेगी, एवं शर्तो का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए अनुबन्ध समाप्त भी किया जा सकता है।
13. ठेकेदार/परिवहनकर्ता अनुबन्ध अवधि में बिना पूर्व सूचना के ठेका छोडकर नहीं जा सकता है, यदि अनुबन्ध अवधि में ठेकेदार बीच में कार्य छोडकर जाता है, तो सुरक्षा राशि जब्त की जायेगी व संघ स्वीकृत निविदाकर्ता के खर्चे एवं जोखिम पर वैकल्पिक व्यवस्था करेगा एवं अतिरिक्त लागत तथा अनुबन्ध भंग की शास्ति रूपये 1,00,000/- की वसूली ठेकेदार के बिल, सुरक्षा निधि की राशि/अन्य जमा व चल–अचल सम्पति से की जाकर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
14. निविदाकर्ता दुग्ध टैंकर्स में कोई सवारी या दुग्ध संघ/दुग्ध समिति के अतिरिक्त अन्य किसी भी सामग्री का परिवहन नहीं करेगा। यदि ऐसा करते पाये जाता है तो दुग्ध संघ को शास्ति आरोपित करने का अधिकार होगा।
15. निविदा अस्वीकृत होने पर धरोहर राशि एक माह में वापस लौटा दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
16. निविदाकर्ता ने उल्लेखित वाहन क्रय किया तथा किसी कारण से उसके नाम पंजीयन हस्तांतरित नही हुआ है, तो निविदा प्रस्तुतकर्ता को यह आवयश्क होगा कि, निविदा के साथ वाहन खरीदी का प्रमाण–पत्र (सेलडीड) की फोटो कॉपी संलग्न करें एवं पंजीयन हस्तांतरण प्रक्रिया का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
17. अनुबंध के समय पंजीयन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।
18. आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नं. (पेन नं.) होना आवश्यक है।
19. विगत तीन वर्षो (2019–2020, 2020–2021, 2021–2022) का ITR होना आवश्यक है।
20. इन्सुलेटेड टैंकर से दुग्ध परिवहन का 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र या संबंधित डेरी का कार्यादेश संलग्न करे।
21. निविदाकार/फर्म द्वारा यदि दुग्ध संघ के औसतन परिवहन लागत से अत्यधिक कम (अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की स्थिति में) दरें दी गई हैं तो वह मान्य नहीं होगी।
22. दुग्ध संघ से समस्त शीत केन्द्रों/बीएमसी की दूरियाँ सत्यापित की गई है अथवा की जावेगी, जिसके आधार पर ही परिवहन देयकों का प्रति कि.मी. भुगतान किया जा सकेगा।
23. निविदाकर्ता द्वारा प्रदायित टैंकर में दुग्ध संघ में प्रचलित व्यवस्था अनुसार वाल्व बॉक्स होना अनिवार्य है।
24. दुग्ध संघ/शीतकेन्द्रो/बीएमसी समितियों से दुग्ध परिवहन हेतु दुग्ध संध द्वारा निर्धारित एवं प्रचलित प्रक्रिया अनुसार टैंकरो में सेम्पलिंग, परीक्षण एवं सीलिंग व्यवस्था का कडाई से पालन अनुबंधकर्त्ता अथवा उसके प्रशिक्षित प्रतिनिधि कर्मचारी द्वारा करना होगा। संघ स्तर पर परीक्षण में कमी आने पर मात्रा, फैट, एसएनएफ की राशि का कटौत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा।
25. निर्धारित मार्ग एवं समय सारणी अनुसार ही टैंकर का परिचालन किया जाना अनिवार्य होगा। समय सारणी में दिये गये अतिरिक्त समय के पश्चात् संयंत्र पर विलम्ब से टैंकर लाने पर राशि रू 2000/– का अर्थदण्ड किया जावेगा। साथ ही गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई अनुबंधकर्ताओ के देयको से की जावेगी।
26. दुग्ध टैंकरों का सम्पूर्ण अनुरक्षण कराना, साफ–सफाई, पेंटिंग, लॉकिग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा।
27. परिवहन के दौरान टैंकर क्षतिग्रस्त होने पर/खराब होने पर, Over loading या अन्य कारणों से अनावश्यक विलम्बित होने के कारण यदि दुग्ध की गुणवत्ता या मात्रा में कमी परिलक्षित होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा एवं कमी वसूली योग्य रहेगी।
28. परिवहन के समय टैंकर खराब होने की स्थिति में अनुबंधतकर्त्ता द्वारा व्यवस्था कर दुग्ध का परिवहन करना होगा एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई अनुबंधकर्त्ता के देयक से की जावेगी।
29. अनुबंधकर्त्ता के स्टाफ को संघ परिसर में अच्छे आचरण का व्यवहार करना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी पर किसी भी कार्य के

लिये दबाव डालने, धमकाने, प्रलोभन देने अथवा किसी अनैतिक कार्य हेतु उकसाने की, शिकायत की स्थिति में अनुबंधकर्ता एवं संबंधित व्यक्ति पर कार्यवाही कर अनुबंध निरस्त किया जावेगा।

30. निविदाकार के द्वारा पदस्थ कर्मचारियों पर संयंत्र परिसर में धूम्रपान, गुटका, पान, तम्बाखू एवं नशीली वस्तुओं का सेवन/रखना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। निरिक्षण के समय ऐसा करते पाये जाने पर राशि रू 1000/– का कटौत्रा क्षतिपूर्ति हेतु किया जावेगा।
31. टैंकरों को क्षमता के अनुसार R.T.O. से सत्यापित होना आवश्यक है। टूट–फूट की दशा में दुग्ध संघ के निदेर्श पर ही टैंकर का बैरल बदला जा सकेगा।
32. संघ कार्यालय द्वारा निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को आपके स्टाफ द्वारा सहयोग देना होगा।
33. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर यदि कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी अथवा कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा श्रम अधिनियमों के समस्त नियमों का पालन करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा।
34. वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता द्वारा करना आवश्यक होगा।
35. अनुबंधकर्ता के देयक से नियमानुसार आयकर एवं अधिभार का कटौत्रा गणनानुसार किया जावेगा।
36. स्वीकृत निविदाकार/फर्म को इन्दौर दुग्ध संघ के साथ रूपये 1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
37. डीजल की दरों में वृद्धि या कमी होने पर परिवहन दरों में अनुपातिक वृद्धि अथवा कमी अगामी माह की प्रथम तारीख से की जा सकेगी। जिसे समय–समय पर परिवर्तित करने का अधिकार इन्दौर दुग्ध संघ को रहेगा। इसकी गणना निम्नानुसार की जावेगी।

वाहनों के लिए मानक औसत् निम्नानुसार रहेगा :–

9000 कि.ग्रा. क्षमता	–	5Km/lt.
12000 कि.ग्रा. क्षमता	–	5Km/lt.
15000/20000/250000 कि.ग्रा. क्षमता	–	4Km/lt.

38. निविदा स्वीकृत होने पर शेष निविदाकारों की धरोहर राशि एक माह में वापस कर दी जावेगी। धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
39. वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर सॉची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की मानचित्र एवं अन्य जानकारी की पेंटिंग संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार कराना होगा।
40. दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा, नहीं लिखवाने पर संघ द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से कर लिया जावेगा जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
    (1) टैंकर के पीछे ''दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है।'
    (2) टैंकर के दोनों ओर ''यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया .... नम्बर पर सूचित करें। (नंबर टेंडर फाइनल करने पर बताया जावेगा।)
41. निविदा स्वीकृत होने पर परिवहन हेतु सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः तीन वर्ष की होगी। निविदा अवधि पूर्ण होने पर कार्य संतोषजनक होने एवं वाहन की स्थिति तथा इन्सूलेशन संतोषप्रद पाय जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् एक–एक करके अनुबंध की अवधि में दो वर्ष की वृद्वि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जाए। करने के संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगे। (कुल पांच वर्षो की अवधि के बाद किसी भी दशा में समय में वृद्वि नही की जा सकेगी।
42. अनुबंध अवधि में ठेके की शर्तों तथा शासकीय अधिनियमों/नियमों की अवहेलना करने पर ठेके की अवधि में किसी भी समय ठेका निरस्त कर जमा की गयी सुरक्षानिधि राजसात करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
43. सभी निविदायें गुण दोष के आधार पर या कोई भी निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
44. एक ही मार्ग के लिये दो निविदाओं की समान दरें प्राप्त होने पर लाटरी द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

45. परिवहन के दौरान संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक दण्ड रू. 5,00,000/– के साथ–साथ संबंधित परिवहनकर्ता एवं उसके वाहन चालक के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेगी तथा अनुबंध समाप्त कर परिवहनकर्ता को ब्लैक लिस्ट कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संघ को हुई अन्य हानियाँ आपके देयकों से समायोजित की जायेगी।
46. परिवहन के समय जी.आई.एस. फैसिंग (निर्धारित मार्ग मेपिंग) के अतंर्गत ही वाहन संचालन करना होगा, ऐसा नही करने पर प्रति ट्रिप राशि रू 2000/– कटौत्रा किया जावेगा।
47. विवाद की स्थिति में देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
48. दुध से भरे हुये टैंकर को सीधे मुख्य संयंत्र तक लाना होगा। जीपीएस मांनिट्रिंग के समय टैंकर खडा पाये जाने पर कारण सहित जानकारी जीपीएस मांनिट्रिंग कक्ष को देना होगी, कारण संतोषजनक नहीं होने पर, देरी से होने वाली राशि का कटौत्रा अनुबंधतकर्त्ता से किया जावेगा। पूर्ण परिवहन अवधि में विशेष परिस्थिति हेतु 20 मिनिट एक अवसर मान्य किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त रूकने पर प्रति स्टापेज राशि रू 2000/– की दर से कटौत्रा किया जावेगा।
49. परिवहन निर्देशों में दूरी अनुसार अधिकतम परिवहन समय सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक समय में टैंकर लाने पर जहॉं न्यूनतम रू. 10,000/– का अर्थदण्ड लगाया जावेगा वही गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जाएगी।
50. डीजी लॉक सिस्टम के तहत किये गये फेब्रिकेशन कार्य, जीपीएस वायर को सुरक्षित रखना परिवहनकर्ता की जबाबदारी होगी। सिस्टम के साथ छेडछाड करने पर अर्थदण्ड राशि रू. 5000/– का कटौत्रा किया जावेगा।
51. डीजी लॉक सिस्टम के तहत प्रदाय की गयी सामग्री जैसे ताला, चाबी, सुरक्षित रखने आदि की जाबबदारी परिवहकर्ता की रहेगी। ताला, चाबी गुम होने, टूट–फुट होने की दशा में होने वाली नुकसान की राशि परिवहकर्ता से वसूली जावेगी।
52. परिवहनकर्ता को निर्धारित टैंकर संख्या के अलावा stand By के रूप में (for Emergency) अतिरिक्त टेंकर पर डीजी लॉक सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर, बीएमसी दूध नही उठाने पर होने वाली नुकसान की वसूली परिवहनकर्ता के देयक से की जावेगी।
53. बी.एम.सी. अनुबंधक द्वारा हर समिति का दुग्ध प्रतिदिन लाना अनिवार्य होगा। न उठाने पर प्रतिदिन रू.1000 की शास्ती लगाई जायेगी।
54. टैंकर अनुबंधक द्वारा बीएमसी समिति से दूध उठाते ही ट्रॅकशीट में फैट व एस.एन.एफ व दूध की मात्रा का इन्द्रॉज करना अनिवार्य होगा। रास्ते में डेयरी अधिकारीयों द्वारा निरीक्षण के समय ट्रॅकशीट अधूरी पाये जाने पर रू.10000/– (रू. दस हजार मात्र) की शास्ति लगाई जायेगी।
55. यदि टैंकर ठेकेदार या परिचालक संघ के वे–ब्रिज पर प्राप्त वजन पर आपत्ति प्रकट करता है। तो टेंकर का वजन संघ के बाहर किसी भी वे–ब्रिज पर ले जाकर पुनः वजन करवाया जाएगा, जिसके लिये होने वाले व्यय का भुगतान वाहन ठेकेदार को को करना होगा, पुनः वजन हेतु शुल्क राशि 500/– रूपये दुग्ध संघ में देय होगी, जिसकी कटौत्रा वाहन ठेकेदार के बिलों में से की जाएगी।
56. टेंकर चालक/परिवहन ठेकेदार का प्रतिनिधि लेब में टेस्टींग करवाने जावेगा तो साथ में केल्कुलेटर और मोबाईल साथ में लेकर नहीं जावेगा। सामान्य टेस्टिंग के पश्चात् रि–टेस्टिंग केवल एक बार ही की जावेगी, इसका उल्लंघन करने पर शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
57. संयंत्र में स्थित धर्मकांटे पर प्रत्येक दिन भरा एवं खाली टेंकर का वजन करवाना होगा। टैंकर के अनलोड होने के 30 मिनिट पश्चात् तक यदि खाली टैंकर का वजन नही करवाया जाता है, तो 100/– रूपये प्रति घंटें की दर शास्ति आरोपित कि जायेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में दूध कम होने पर दूध की राशि वसूल की जावेगी एवं शास्ती आरोपित कि जावेगी।
58. बीएमसी पर संकलित दूध परिवहन कर लाये जाने हेतु दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समय सारिणी का पालन करना होगा। नियत समय पर दुग्ध संयंत्र से प्रस्थान एवं परिवहन कर पुनः दुग्ध संयंत्र पर निर्धारित समय से पहुंना होगा।
59. संकलित दूध परिवहन कर लाये जा रहे टेंकरों को सांय 07.00 बजे तक संयंत्र पहुंचना अनिवार्य होगा।

60. टेंकर के साथ संयंत्र/गु.नि. शाखा से बीएमसी निरीक्षण/दुग्ध परीक्षण हेतु औचक अथवा नियमित रूप से कर्मचारी भेजे जा सकेंगें जिस पर वाहन ठेकेदार अथवा कर्मचारी को कोई आपत्ती नही होगी।
61. परिवहन ठेकेदार के कर्मचारी को बीएमसी पर स्थापित टेंक में संधारित दूध की मात्रा का सूक्ष्म निरीक्षण कर गेज अनुसार दूध की मात्रा सत्यापित करना होगी, तत्पश्चात् प्रचलित प्रक्रिया अनुसार बीएमसी टेंक के दूध का सेम्पल लेकर प्रदायित बाटल में रखना होगा एवं सेम्पल का गुणवत्ता परीक्षण समिति के समक्ष कर पत्रक पर अंकित कर सचिव के हस्ताक्षर कराना होंगे।
62. बीएमसी से लिये गये सेम्पल टेंकर के अंदर रखी केतली में सुरक्षित रखकर मुख्य संयंत्र पर लाना होगें।
63. अनुबंधित परिवहन वाहनों से लाये गये दूध के गुणवत्ता परीक्षण में यदि लगातार अंतर की स्थिति परिलक्षित होती है। तो अनुबंधित टेंकर के स्थान पर संघ के टेंकर से आवश्यकतानुसार एक या अधिक दिन तक दुग्ध परिवहन कराया जावेगा। एवं ऐसी स्थिति में अनुबंधित वाहन को उन दिनों का का भुगतान नही किया जावेगा।
64. दूध परिवहन हेतु टेंकर के मेन होल एवं अनलोडिंग वाल्व पर डिजीटल लॉक व्यवस्था संघ द्वारा की गई है।जिसकी आनलाईन रिडींग की व्यवस्था है। ताले के साथ छेडछाड या अनावश्यक रूप से रास्ते में खोलने की कोशिश बाबत जानकारी पाये जाने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
65. अनुबंधकर्ता, टैंकर परिवहन करने में किसी कारण असमर्थ रहता है तो दो माह पूर्व दुग्ध संघ को सूचित करना होगा।
66. यह कि, किसी भी प्रकार की अनहोनी या त्यौहार आदि के कारण दुग्ध संकलन में कमी होने पर टैंकर संचालन नही होगा।
67. यह कि, वाहन के रजिस्ट्रेशन बुक में निर्धारित टैंकर क्षमता से अधिक दूध परिवहन करने की दशा में यदि कोई दुर्घटना या अन्य कारण से दूध की हानि होती है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष (निविदाकार) से संपूर्ण हानि की वसूली की जावेगी।
68. संघ द्वारा सभी टैंकर्स में परिवहन पर प्रभावी निगरानी रखने हेतु मिल्क टैंकर्स को आधुनिक डिजिटल लॉक, जीपीएस सिस्टम एवं PH सेन्सर से जोड़ा जा रहा है। जिसमें डिजिटल लॉक एवं PH सेन्सर के फेब्रीकेशन हेतु दुग्ध बैरल में आवश्यकतानुसार परिवर्तन संघ द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें निविदाकर्ता की सहमति मान्य मानी जावेगी। जिसकी इस्टॉलेशन एवं किराये पर लगभग राशि रू.12500 प्रति माह का व्यय होगा (राशि में परिवर्तन भी संभावित है)। उपरोक्त इंस्टॉलेशन एवं किराया राशि परिवहनकर्ता के देयकों से समायोजित किया जायेगा।
69. यदि टैंकर पर लगी सील/चेम्बर्स के डिजिटल लॉकिंग सिस्टम हेतु की गई व्यवस्था, डिजिटल लॉक, वॉल्व बॉक्स में स्थापित किये जाने वाले PH सेन्सर एवं जीपीएस सिस्टम में यदि कोई टेम्परिंग पाई जाती है तो दूध की मात्रा, फैट एवं एस.एन.एफ में अंतर न आने पर भी इस स्थिति में रू 50,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
70. परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से हुऐ मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्ता को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
71. यह कि, अनुबधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध शर्तों का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि प्रथमतः उसके देयकों से/प्रतिभूति राशि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से की जावेगी।
72. यह कि, कार्य की आवश्यकता न होने पर दुग्ध संघ द्वारा 45 दिवस की पूर्व सूचना पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
73. यह कि, किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटाये जायेंगे।
74. यह कि, अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध की शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
75. परिवहन में लगाये जाने वाले टैंकर पूर्ण रूप से आई.एस.आई. मानकों के आधार पर इंसुलेटिड़ रहेगा एवं परिवहन किये जाने वाले दूध के तापमान में संघ/शीत केन्द्र से गंतव्य तक पहुॅचने पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिऐ।

76. परिवहन के दौरान अनावश्यक विलंब पाये जाने पर उस ट्रिप हेतु रूपये 2000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
77. यह कि, टैंकरों की अग्रिम मॉग घटाई–बढ़ाई जा सकती है, ऐसी स्थिति में टैंकर मॉगे जाने पर 48 घंटे के अंदर टैंकर प्रदाय करना होगा। टैंकर प्रदाय न करने की स्थिति में संघ द्वारा अन्य व्यवस्था करने पर होने वाले व्यय की द्वितीय पक्ष से वसूल किया जावेगा।
78. परिवहनकर्ता को एक कम्प्रेहेन्सिव बीमा पॉलिसी वाहनों हेतु लेना होगी। परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा कि आर.टी.ओ. द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, ड्यूटिज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाइसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी।
79. किसी भी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
80. अनुबंधतकर्त्ता यदि संघ की आवश्यकतानुसार टैंकर उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में संघ द्धारा दुग्ध परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी एवं परिवहन पर अधिक व्यय होने पर राशि की वसूली अनुबंधतकर्त्ता से की जावेगी।
81. यह कि अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध की शर्तो में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
82. अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर परिवहनकर्त्ता को सम्बधित **शी**तकेन्द्र/बीएमसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा राशि लौटाई जायेगी।
83. प्रथम पक्ष द्वारा समितियों को भेजी जाने वाली साम्रगी ले जाना होगी जिसका पृथक से कोई भुगतान नही किया जावेगा। सामग्री का लेखा–जोखा द्धितीय पक्ष को रखना होगा। संघ से भेजे गये सामान को समिति को देकर प्राप्ति रसीद संघ कार्यालय में जमा करना होगी। समिति को भेजा गया सामान प्राप्त न होने पर उस सामान की राशि का कटौत्रा द्धितीय पक्ष के देयक से किया जावेगा।
84. संघ के कार्य से संघ कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में आर.टी.ओ के तहत निधरित संख्या अनुसार लाना एवं ले जाना होगा।
85. द्वितीय पक्ष हड़ताल में भाग नही लेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि अथवा प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये द्धितीय पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्धितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।
86. वाहन ठेकेदार के एक से अधिक टेंकर होने पर किसी तरह की कटौत्रा यदि हो तो, उसके अन्य टैंकरों के बिलों से व जमा राशि से भी की जा सकेगी।
87. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, उससे दूध की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्धितीय पक्ष की रहेगी एवं नुकसानी की वसूली परिवहन देयक से किया जावेगी।
88. दुग्ध संकलन वाहन शीतकेन्द्र/बी.एम.सी. टैंकर के वाहन चालक वयस्क एवं हैवी लाईसेंसधारी हो सभी वाहन चालकों की लाईसेंस की प्रति अनिवार्यतः दुग्ध संघ में द्धितीय पक्ष द्वारा जमा कराई जावे। वाहन चालकों का रिकार्ड/लाईसेंस की प्रति, पता/मोबाइल नं./प्रमाण पत्र/अनुभव/आधार कार्ड आदि की प्रति दुग्ध संघ में जमा किया जाना होगा।
89. यह कि, परिवहनकर्ता विशेष परिस्थितियों में यदि स्वीकृत क्षमता अनुसार टैंकर उपलब्ध न कराकर कम या ज्यादा क्षमता का टैंकर उपलब्ध कराता है, तो स्वीकृत दर अनुसार सबसे निकटतम क्षमता की स्वीकृत दर अनुसार प्रोरेटा आधार पर भुगतान किया जावेगा।
90. संघ के निर्देशानुसार दुग्ध परिवहनकर्ता को वापसी के समय In route or off route किसी मिल्क यूनियन या अन्य कहीं से दूध लेकर आना/जाना होगा। जिस हेतु कोई अतिरिक्त दर से भुगतान नही किया जावेगा, यदि In route or off route पर अतिरिक्त किलोमीटर वृद्धि होती है तो अतिरिक्त किलोमीटर का भुगतान स्वीकृत दर से किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

शेड्यूल– II

तकनीकी विवरण

1. निविदाकार/फर्म का नाम – ....

2. पूरा पता – ....

3. फोन नं/ मोबाईल नं. – ....

4. ई–मेल आईडी – ....

5. (A) वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, टेंकर क्षमता एवं प्रकार का विवरण (निर्धारित प्रारूप – अ में किया जाना आवश्यक है। (दस्तावेजो की छायाप्रति संलग्न करें) . प्रारूप भरा गया/नहीं भरा गया

6. (B) निविदाकार के पास स्वयं के स्वामित्व के दूध परिवहन उपयोग के न्यूनतम 5 टैंकर के रजिस्ट्रेशन क्रमांक, टेंकर क्षमता एवं प्रकार का विवरण – ....

7. परिवहनकर्ता का प्रकार (व्यक्तिगत/भागीदारी फर्म/पंजीकृत ठेकेदार। .... (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करे।)

8. आयकर पेन नम्बर कार्ड (छायाप्रति संलग्न करे) – ....
9. विगत तीन वर्षो की ITR (छायाप्रति संलग्न करे) – ....

10. किसी दुग्ध संघ : द्वारा काली सूची में – .... नामित नही किया है तथा निविदाकर दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यकारिणी सदस्यों एवं कर्मचारियों के परिवार सदस्य नही होने संबंधि शपथ पत्र रू. 100/–के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) ....

11. टैंकर का नियोजन किस कार्य हेतु किया जाना है। (बी.एम.सी से डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र – ....

12. निविदाकार के पास खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम अतंर्गत लाईसेन्स। .... (छायाप्रति संलग्न करे।)
13. विगत तीन वर्षो (2019–2020, 2020–2021, 2021–2022) का ITR. ....

14. इन्सुलेटेड टेंकरों द्वारा दुग्ध परिवहन का 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र या कार्यादेश। ....

15. निविदा फार्म में वर्णित इन्दौर दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्ते पूर्णतः मान्य है ।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर निविदाकार
नाम –
मोबाइल नं.–

वचन –पत्र

मैं............................ .आत्मज.................................आयु लगभग.....................निवासी...
इन्दौर दुग्ध संघ में............................कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा इन्दौर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/ संचालक/दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी या उनके किसी रिश्तेदार से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम ....
पता..
....
....

सत्यापन

मैं.. उपरोक्त वर्णित वचनदाता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कथन पूर्णरूपेण सत्य होकर विश्वसनीय है।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम ....
पता ....
....
....

प्रारूप अ शेड्यूलIII

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर
तलावली चांदा, मांगलिया, इन्दौर

निविदातकर्ता के पास स्वंय के नाम
रजिस्टर्ड उपलब्ध टैंकर का विवरण

क्र.	दुग्ध टैंकर का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन स्वामित्व नाम	बैरल दुग्ध परिवहन की क्षमता	वाहन का निर्माण वर्ष	अन्य विवरण यदि हो तो
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

शेड्यूल– IV

बीएमसी दुग्ध परिवहन हेतु दर –––

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर

तलावली चांदा, मांगलिया, इन्दौर

क्र.	स्थान	संचालित स्थान	टैंकर क्षमता KL	कुल अनुमानित दूरी	प्रस्तावित दर (अंकों में) प्रति कि.मी. (टोल टेक्स अतिरिक्त)	प्रस्तावित दर (शब्दों में) प्रति कि.मी. (टोल टेक्स अतिरिक्त)
1	धार–1	इन्दौर	20000	215		
2	धार–2	इन्दौर	20000	300		
3	हाटपिपल्या–1	इन्दौर	20000	186		
4	धार–3 मार्ग (सागौर –नालछा मार्ग)	इन्दौर	9000	250		
5	धार–4 मार्ग	इन्दौर	9000	250		
6	पेटलोद	इन्दौर	20000	130		
7	सोनकच्छ–1	इन्दौर	9000	158		
8	महू–1	इन्दौर	9000	168		
9	फुलगावडी बीएमसी	फुलगावडी	9000	204		
10	फुलगावडी बीएमसी	फुलगावडी	9000	135		
11	बुरहानपुर–खण्डवा	खण्डवा	5000	150		
12	बडवाह मार्ग	बडवाह	9000	150		

नोटः–

दूध की आवक कम/अधिक होने पर (Flush season / Lean season)

आवश्यकता अनुसार टेंकरो की मांग क्षमता अनुसार घटाई–बढाई जा सकती है।

बी.एम.सी. मार्ग विवरण

क्रं.	बी.एम.सी. नाम	मार्ग विवरण	अनुमानित दूरी	अनुमानित समय
1	इन्दौर– धार–1	प्रस्थान दुग्ध संयंत्र से सुपर कारिडोर होकर बैटमा, सादलपुर, नागदा, बिल्लौदा, नेपावली, गुणावद, घाटाबिल्लोद, बैटमा सुपरकारिडोर से दुग्ध संयंत्र इन्दौर	215	संघ द्वारा प्रदायित समय सारणी के अनुसार
2	इन्दौर – धार–2	प्रस्थान दुग्ध संयंत्र से सुपरकारिडोर होकर बैटमा, सादलपुर, नागदा, कोद, बिडवाल, बरमंडल, गोन्दिखेडा, राजोद, साजोद, भेसोला, कोद, नागदा, बैटमा सुपरकारिडोर से दुग्ध संयंत्र इन्दौर।	300	
3	इन्दौर –हाटपिपल्या–1	प्रस्थान दुग्ध संयंत्र से सुखलिया, कैलाद, सिरोल्या, सिवपुरमुण्डला, मानकुण, चापडा, करनावद, खुडेल से दुग्ध संयंत्र इन्दौर	186	
4	इन्दौर – धार–3	प्रस्थान दुग्ध संयंत्र से मांगरोल, दिग्ठान, बछडावदा, डिगलाय, उज्जैनी, करोदिया, मिर्जापुर, गुनावद, सेजवानी, बैटमा, सुपरकारिडोर से दुग्ध संयंत्र इन्दौर।	180	
5	इन्दौर – धार–4	प्रस्थान इन्दौर डेयरी से खेडा, अछाना, कुवरसी, बछानपुर, सिरोतिया, भीलीदीया, बगडी,खेडा	210	
6	पेटलोद (बी.एम.सी.)	प्रस्थान इन्दौर डेयरी से धरमपुरी, राजोदा, दरजीकराडीया, भीमरोड, मुकाता, मण्डोत, पोटलोद, उमगखेडी	130	
7	सोनकच्छ–1	प्रस्थान इन्दौर डेयरी से कानकुन्ड, अलवापिप्लीया, भोरासा, बुदासी, डकछाया, पिप्लीय बछोडा, पालनगर	158	
8	महू – 1	प्रस्थान इन्दौर डेयरी से ठेही, आषपुरा, भगोरा, सिमरोल चिखी, शिवनगर, गोकनिया	168	
9	फुलगावडी बीएमसी 1	प्रस्थान फुलगावडी से न्यू मुलथान, ढोलानाकला, घटगाटा, गाजनोद, कोद, बिडवाल, साहब नगर, लारोद, फूलेडी, दसाई, घरोदा, बालोदा से फुलगावडी वापसी	204	
10	फुलगावडी बीएमसी 2	प्रस्थान फुलगावडी से बोधवाडा, लीरला, बोरदा, आहू, उटावदा, केसरपुरा, सगवाल, बाँरेडी, राजपुरा, छडावद, पिपरनी, कंजरोदा, राजगढ से फुलगावडी वापसी	135	
11	बुरहानपुर–खण्डवा	बुरहानपुर शीतकेन्द्र से खण्डवा संयंत्र	150	
12	बडवाह मार्ग	इन्दौर संयंत्र से बडवाह बीएमसी वापसी इन्दौर	150	

– शीतकेन्द्र/मिनी डेरी संयंत्र हेतु परिवहन दर शेड्यूल– V

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर

तलावली चांदा, मांगलिया, इन्दौर

दुग्ध परिवहन की दरे प्रस्तुत करने हेतु निविदा फार्म

(परिवहन दर विवरण)

निविदाकार का नाम

PRICE BID

क्रं.	**टैंकर की क्षमता**	**प्रस्तावित दर प्रति कि.मी. (टोल टेक्स अतिरिक्त)**			
	प्रत्येक टैंकर दो चेम्बर का होना अनिवार्य है।	टैंकर अनुमानित संख्या	संघ कार्य क्षेत्र/म. प्र. राज्य के अंदर	टैंकर अनुमानित संख्या	म. प्र. राज्य के बाहर
1	9 KL Milk Trasportation	4		–	
2	12 KL Milk Trasportation	1		–	
3	15 KL Milk Trasportation	5		–	
4	20 KL Milk Trasportation	3		3	
5	23 KL Milk Trasportation	–		2	
6	25 KL Milk Trasportation	–		2	

नोटः– दूध की आवक कम/अधिक होने पर (Flush season / Lean season) आवश्यकता अनुसार टेंकरो की मांग क्षमता अनुसार घटाई–बढाई जा सकती है।

शीतकेन्द्र मार्ग विवरण

क्रमांक	मुख्य संयंत्र/शीतकेन्द्र नाम	मार्ग विवरण	अनुमानित दूरी
1	चापडा	प्रस्थान इन्दौर डेयरी से केलोद, सिरोलिया, मानकुंड, हाटपिपल्या, चापड़ा होकर बायपास से अरण्या ग्राम होकर डेयरी में आवेगी।	126
2	बडवाह	इन्दौर डेयरी से अरण्या ग्राम बायपास होकर बडवाह जायेगें एवं वापसी भी इसी मार्ग से करेंगें।	150
3	खण्डवा	इन्दौर डेयरी से अरण्या ग्राम बायपास होकर खण्डवा जायेगें एवं वापसी भी इसी मार्ग से करेंगें।	300
4	झाबुआ	प्रस्थान इन्दौर डेयरी से निरंजनपुर चौराहा, एयरपोर्ट होकर बेटमा, घाटा बिल्लोद, लेबड़, धार, फुलगावडी, राजगढ, झाबुआ जावेगें एवं वापसी भी इसी मार्ग से करेंगें ।	352
5	फुलगावडी	प्रस्थान इन्दौर डेयरी से निरंजनपुर चौराहा, एयरपोर्ट होकर बेटमा, घाटा बिल्लोद, लेबड़, धार, फुलगावडी, राजगढ, झाबुआ जावेगें एवं वापसी भी इसी मार्ग से करेंगें ।	242
6	पेटलावद	प्रस्थान इन्दौर डेयरी से निरंजनपुर चौराहा, एयरपोर्ट बेटमा, घाटा बिल्लोद, लेबड़, करनावद से भैसोला फाटा, पेटलावद जावेगें एवं वापसी भी इसी मार्ग से करेंगे।	352
8	कन्नौद	इन्दौर डेयरी से अरण्या ग्राम बायपास होकर कन्नोद जावेगें एवं वापसी भी इसी मार्ग से करें ।	234
9	खरगोन	इन्दौर डेयरी से अरण्या ग्राम बायपास होकर कसरावद होकर खरगोन जावेगें, एवं वापसी भी इसी मार्ग से करेगें	328
10	बडवानी	इन्दौर डेयरी से राऊ, दुधी, खलघाट ठीकरी अंजड होकर बडवानी जावेगें एवं वापसी भी इसी मार्ग से करेगें	365
11	सेन्धवा	इन्दौर डेयरी से राउ, खलघाट, ठीकरी, जुलवानिया होकर सेंन्धवा जावेंगे एवं वापसी भी इसी मार्ग से करेंगे।	355
12	बुरहानपुर	इन्दौर डेयरी से अरण्या ग्राम बायपास होकर सिमरोल, देशगांव दुलार बारेगांव होते हुये बुरहानपुर जावेंगे एवं वापसी भी इसी मार्ग से करेंगे।	396